

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. मीरा पुत्री प्रभुदयाल निवासी राजनगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0।

- वादी

बनाम

2. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 249/2025


आदेश

दिनांक

वादीया मीरा व वादिया के पिता श्री प्रभुदयाल पुत्र कृपाराम उप0। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम चक चारावास पटवार हलका मण्डोली तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 113 में वादिया के पिता का गलत दर्ज नाम " पालाराम पि0 कृपाराम" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "प्रभुदयाल पुत्र कृपाराम" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)